न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 76 / 2014

1 अशोक कुमार आयु 34 साल पुत्र स्व. भगवान सिंह जाति जाट निवासी खाजपुर पुराना, तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।
2 मु. परमेश्वरी आयु 62 साल स्त्री स्व भगवान सिंह जाति जाट निवासी खाजपुर पुराना तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 मामराज आयु 48 साल पुत्र स्व. गिरधारी
2 हरफुल आयु 56 साल पुत्र स्व. बजरंग
3 मु. छोटी देवी आयु 75 साल पत्नी स्व. बजरंग
4 संदीप कुमार आयु 28 साल दत्तक पुत्र माईधन
5 मु. श्रवणी आयु 58 साल पत्नी स्व. सुलतान
6 बलबीर आयु 32 साल पुत्र स्व. सुलतान
7 मुकेश आयु 30 साल पुत्र स्व. सुलतान
जाति समस्त जाट, निवासीगण खाजपुर पुराना तहसील व जिला झुन्झुनू राज. ।
8 मु. सावित्री आयु 34 साल पुत्री स्व. सुलतान स्त्री विजेन्द्र जाति जाट निवासी ढ़ाका की ढाणी, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
9 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू राज. ।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 16.04.1992 बअदालत उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू दावा उनवानी गिरधारी वगै. बनाम बजरंगलाल वगै. दावा संख्या 143/1991

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 6.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 143/1991 में पारित निर्णय दिनांक 16.04.1992 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण द्वारा एक वाद घोषणा व बंटवारा बाबत भूमि खसरा नम्बर 79, 80, 81, 85, 81/277, 81/278, 81/279, 81/280, 85/281, 85/282, 85/283, 85/284, 81/280/297, 81/296 वाके ग्राम खाजपुर पुराना का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। बहस उभयपक्ष धारा 5 के आवेदन पर सुनी गई।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपील प्रस्तुत करने के लिये मियाद कानून से 60 दिन तय है। आवेदकगण व भगवान सिंह ने हमेशा यह सोच रखा था कि वास्तविक भौतिक कब्जे के मुताबिक ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हुआ है। इस कारण निर्णय व डिक्री को चुनौती दिया जाना पहले कभी आवश्यक नहीं समझा। माह अक्टुबर सन 2014 के अन्तिम सप्ताह में आवेदकगण को अनावेदक संख्या 1 ने धमकी दी कि वह उन्हें जमीन काश्त नहीं करने देगा और यह कहा कि जमीन का उपयोग उपभोग नहीं करने देगा। इस बाबत कारण जानना चाहा तो अनावेदक संख्या 1 मामराज ने यह कहा कि भौतिक कब्जा के मुताबिक राजस्व रिकार्ड नहीं बना है और यह कहा कि प्रकरण में विचारण न्यायालय ने प्रारम्भिक डिक्री बनाये बिना ही अंतिम रूप से निर्णित किया था। इस पर आवेदकगण ने राजस्व रिकार्ड की जानकारी कर निर्णय व डिक्री के लिये दिनांक 28.10.2014 को आवेदन प्रस्तुत किया जो तैयार होकर दिनांक 29.10.2014 को मिला। दिनांक 31.10.2014 को वकील से सम्पर्क किया और अपील तैयार करवाई। आवेदकगण व विचारण न्यायालय के दावा के पक्षकारान को कानून का ज्ञान नहीं रहा। इस कारण निर्णय व डिक्री को चुनौती नहीं दी जा सकी। निर्णय व डिक्री जैर बहस अवैध व शुन्य है जिसकी जानकारी आवेदकगण को दिनांक 29.10.2014 को नकल मिलने पर हुई। जानकारी के रोज से अपील अपीलान्टस अन्दर मियाद पेश है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर अपील को अन्दर मियाद समाहत किया जावें और आवेदकगण के केस में मैरिट है इस तथ्य को मध्यनजर रखते हुये आवेदकगण के प्रति नरमी का रूख अपनाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया अपील के लिये मियाद निर्णय व डिक्री के रोज से 60 दिन होना विवादित नहीं है लेकिन जानबुझकर करीब 22 साल से भी अधिक समय बाद मियाद बाहर अपील पेश की है जो खारिज होने योग्य है। उक्त अनुसार भगवानसिंह ने निर्णय व डिक्री में दुरूस्ती के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

लिये आवेदन किया जो दिनांक 05.06.1992 को स्वीकार कर निर्णय व डिक्री में दुरूस्ती अपीलान्ट नम्बर 1 के पिता के प्रार्थना पत्र के अनुसार की गयी। मौके पर भौतिक कब्जे के आधार पर निर्णय व डिक्री को सही मानकर भगवान सिंह ने दुरूस्ती करवायी। भौतिक कब्जे के आधार पर पालना में नामान्तकरण दर्ज करवाया। माईधन की जमीन का नामान्तकरण भगवानसिंह के लड़के नाम भी गलत दर्ज करवाया। सब कार्यवाही करने के बाद दुरभावना पूर्वक गलत तथ्य दर्ज कर गलत आवेदन पत्र पेश किया है। अनावेदक नम्बर 1 द्वारा सन् 2014 में या अन्य कभी भी धमकी नहीं दी गयी। अनावेदक नम्बर 1 मामराज के बाबत गलत तथ्य दर्ज किये है। भौतिक कब्जे के आधार पर दावो में विभाजन का तथ्य दर्ज किया गया जिसको स्वीकार किया गया। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम सारहीन होने से व अपील सारहीन होने से दोनों खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे 2020(3) राज पेज 773, आरबीजे 2021 पेज 226, डीएनजे 2020(3) राज पेज 679, एआईआर 2015 कर्नाटक पेज 204 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील 22 साल के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का कोई संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। धारा 5 के आवेदन में अपीलांट ने विचाराधीन निर्णय की जानकारी नहीं होने का कथन भी नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

निर्णय आज दिनांक 6.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर